Violation of rules for Import of Sugar

573. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government and Food Corporation of India have violated the rules to import sugar;

(b) whether the MMTC and STC have been ignored on the question of importing sugar;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) No, Sir. The Food Corporation of India is not undertaking any import of sugar.

(b) No, Sir. MMTC and STC are already importing sugar under Open General Licence for meeting the short-fall in requirement for the Public Distribution System.

(c) and (d) Question does not arise.

Incentive Scheme for New Sugar Factories

574. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Mnister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to extend the 1993 Incentive scheme for new/expanding sugar factories in the country;

(b) if so, to what extent the date has been extended;

(c) to what extent this scheme has been proved beneficial in the past; and

(d) whether any further modiacations have been proposed in the Scheme ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) A proposal to extend the validity period of the Incentive Scheme 1993 is under consideration of the Government.

(c) The scheme provides additional funds to sugar factories to enable them to repay the term loans taken from the Central Financial Institutions for the execution of high cost sugar projects.

(d) The proposal to enhance the annual sugar production ceiling on which incentive is available is also under consideration of the Government.

लेवी-चीनी

575. श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई चीनी नीति के अधीन चीनी उत्पादन की कुल मात्रा का 40 प्रतिशत लेवी चीनी के रूप में लेना निश्चित किया है ;

(ख) यदि हां, तो पिराई वर्ष 1993-94 में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) इस कुल उत्पादन में से कुल कितनी चीनी लेवी चीनी के रूप में प्राप्त की जानी है ;

(घ) पिछले वर्ष के शेष चीनी भंडार में कुल चीनी की मात्रा कितनी थी और इसमें लेवी चीनी की मात्रा कितनी थी; और

(ङ) पिराई वर्ष 1993-94 में कुल कितनी लेवी चीनी जारी की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) पिराई मौसम 1993-94 के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 96 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए समायोजन को ध्यान में रखते हुए उक्त उत्पादन में से लेवी चीनी की कुल मात्रा 31.68 लाख टन बनती है इसके अतिरिक्त 1993–94 मौसम की खुली बिक्री चीनी की 2.50 लाख टन मात्रा ऋण के रूप में भरपाई आधार पर लेवी चीनी में बदल दी गई है।

(घ) 18 अक्तूबर, 1993 को पिछले मौसम के स्टाक में बची हुई चीनी की कुल मात्रा 31.13 लाख टन (अनंतिम) होने का अनुमान है जिसमें से लेवी चीनी 7.49 लाख टन (अनंतिम) होने का अनुमान है।

(ङ) पिराई मौसम, 1993–94 के दौरान बिक्री के लिए लेवी चीनी की कुल 42.10 लाख टन मात्रा रिलीज की गई जिसमें 1 लाख टन की आयातित चीनी भी शामिल है।

चीनी उद्योग से एकत्र किया गया कर और उपकर

576. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा कर और उपकर एकत्र किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों और उपकर का ब्यौरा क्या है और उनकी अलग-अलग दर क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि का एक भाग गन्ने की पैदावार बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यय किया जाता है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। चीनी उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कर और उपकर एकत्रित नहीं किए जाते हैं। लेकिन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की सुपुर्दगी के समय उत्पाद शुल्क और उपकर दिए जाते हैं। इस समय, खुली बिक्री की चीनी पर 71.00 रुपए प्रति क्विंटल और लेवी चीनी पर 38.00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क सहित उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है। इसके अलावा, 14.00 रुपए प्रति क्विंटल का उपकर भी लगाया जा रहा है। उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क एकत्रण के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एकत्रित किए गए उपकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एकत्र की गई राशि	चीनी विकास निधि को अन्तरित राशि
1991–92	161.36	120
1992–93	168.71	120
1993–94	157.64	200

(ग) जी, हां। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में यह व्यवस्था है कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन लगाए गए और एकत्र किए गए उत्पाद-शुल्क की राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निश्चित एकत्रण लागत घटाकर शेष राशि तथा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्राप्त कोई भी धनराशि संसद द्वारा विधिवत निर्धारित विनियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी। इस प्रकार एकत्र किए गए उपकर की राशि का कुछ भाग संसद द्वारा विधिवत निर्धारित विनियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा करा दिया जाता है और इस निधि का अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ चीनी फैक्ट्रियों जिस क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री स्थित है उसमें गन्ने का विकास करने के लिए योजनायें आरम्भ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।